राष्ट्रीय महिला आयोग
23 फरवरी, 2024 को आयोजित आयोग की
235वीं बैठक का कार्यवृत्त

उपस्थित:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | सुश्री रेखा शर्मा | - | अध्यक्ष |
| 2. | सुश्री खुशबू सुंदर | - | सदस्य (ऑनलाइन उपस्थित) |
| 3. | सुश्री डेलिना खोंदुप | - | सदस्य |
| 4. | सुश्री मीनाक्षी नेगी | - | सदस्य सचिव |

अन्य उपस्थित:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | श्री ए. अशोली चलाई | - | संयुक्त सचिव |
| 2. | श्री राजेश सिंह बिष्ट | - | वेतन एवं लेखा अधिकारी |
| 3. | श्री आशुतोष पांडे | - | अवर सचिव (सा.प्र.) |
| 4. | सुश्री शालिनी रस्तोगी | - | अवर सचिव (स्था.) |
| 5. | सुश्री कंचन खटटर | - | वरिष्ठ समन्वयक |
| 6. | सुश्री देबलीना बनर्जी | - | परामर्शदाता |
| 7. | सुश्री तुनिका उपाध्याय | - | परामर्शदाता |
| 8. | सुश्री शालिनी सिंह | - | परामर्शदाता |
| 9. | श्री शिवम गर्ग | - | सलाहकार (मीडिया/सोशल मीडिया) |
| 10. | सुश्री सुरुचि पुंज | - | अध्यक्ष की निजी सहायक |
| 11. | श्री अतुल सिन्हा | - | वरिष्ठ प्रोग्रामर |
| 12. | श्री राजेश कपूर | - | वरिष्ठ सलाहकार |

प्रारंभ में, सदस्य सचिव ने आयोग की 235वीं बैठक में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष, सदस्यों, अधिकारियों और पदाधिकारियों का स्वागत किया।

बैठक के दौरान प्रत्येक कार्यसूची मद पर निम्नलिखित निर्णय लिये गये:-

1. **कार्यसूची मद सं.- 235/I/1**
**विषय: 15 जनवरी, 2024 को आयोजित आयोग की 234वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि**
15 जनवरी, 2024 को आयोजित आयोग की 234वीं बैठक के कार्यवृत्त की आयोग द्वारा पुष्टि की गई।

2. **कार्यसूची मद सं.- 235/I/2**

**विषयः कार्रवाई रिपोर्ट**

15 जनवरी, 2024 को आयोजित आयोग की 234वीं बैठक के कार्यवृत्त पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट पर आयोग द्वारा संज्ञान लिया गया।

कार्रवाई रिपोर्ट की कार्यसूची मद सं.-234/आई/2(1) के संबंध में, आयोग द्वारा यह संज्ञान लिया गया कि सुश्री डेलिना खोंगडुप को छोड़कर, किसी भी सदस्य ने शिकायत एवं जाँच प्रकोष्ठ द्वारा शिकायतों से निपटने के लिए संशोधित मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) पर कोई टिप्पणी/सुझाव प्रस्तुत नहीं किया है। आयोग द्वारा यह निर्णय लिया गया कि चूंकि सदस्यों को संशोधित मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के मसौदे पर अपनी टिप्पणियां/सुझाव प्रस्तुत करने के लिए पहले ही पर्याप्त अवसर दिया जा चुका है, इसलिए इसे प्रस्तुत करने के लिए समय का कोई और विस्तार वांछनीय नहीं है। रिपोर्ट को माननीय अध्यक्ष महोदया की अध्यक्षता में हुई बैठक में प्रस्तुत तथा उस पर विचार किया गया जिसकी स्वीकृति अपेक्षित है।

3. **कार्यसूची मद सं.- 235/I/3**

**विषय: "साइबर स्पेस में भारतीय महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ रोकथाम के उपायों का अनुभवजन्य अध्ययन"**

आयोग ने प्रस्ताव पर विचार-विमर्श किया और निम्नलिखित के लिए पूर्वव्यापी अनुमोदन प्रदान किया:

i) पूर्ण और अंतिम भुगतान रुपये 52,633/- (रुपए बावन हजार छह सौ तैंतीस मात्र)।

ii) आयोग द्वारा रिपोर्ट की स्वीकृति।

iii) रिपोर्ट की एक प्रति आयोग की लाइब्रेरी में रखना।

iv) रिपोर्ट की एक प्रति महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और उच्च शिक्षा विभाग को अग्रेषित करना।

4. **कार्यसूची मद सं.- 235/I/4**

**विषय: "सतत् विकास लक्ष्य की बाधाएँ: पहुंच और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा - शिक्षा के माध्यम से विजयपुरा जिले की महिला सशक्तिकरण का एक केस स्टडी"**

आयोग ने प्रस्ताव पर विचार-विमर्श किया और निम्नलिखित के लिए पूर्वव्यापी अनुमोदन प्रदान किया:

i) पूर्ण और अंतिम भुगतान रुपये शून्य/- (रूपये शून्य)

ii) आयोग द्वारा रिपोर्ट की स्वीकृति।

iii) रिपोर्ट की एक प्रति आयोग की लाइब्रेरी में रखना।

iv) रिपोर्ट की एक प्रति महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और उच्च शिक्षा विभाग को अग्रेषित करना।

5. **कार्यसूची मद सं.- 235/I/5**

**विषय: नवचेतना, दूरदर्शन पर महिलाओं के मुद्दों को संबोधित करने वाला एक टॉक शो।**

आयोग ने प्रस्ताव पर विचार-विमर्श किया और निम्नलिखित को मंजूरी दी:-

i) नवचेतना, दूरदर्शन पर महिलाओं के मुद्दों को संबोधित करने वाले एक टॉक शो के संचालन के लिए रुपये 21,87,630/- (रुपये इक्कीस लाख सत्तासी हजार छह सौ तीस मात्र) की राशि के लिए प्रशासनिक अनुमोदन और व्यय की स्वीकृति।

ii) दूरदर्शन को रुपये 10,00,000/- (रूपये दस लाख मात्र) की पहली किस्त जारी करना।

6. **कार्यसूची मद सं.- 235/I/6**

विषय: राष्ट्रीय एवं 4 क्षेत्रीय स्तर के महिला दिवस कार्यक्रम 2024

आयोग ने प्रस्ताव पर विचार-विमर्श किया और एक राष्ट्रीय स्तर और चार क्षेत्रीय स्तर के महिला दिवस कार्यक्रम आयोजित करने के लिए रुपये 43,22,677/- (रुपये तैंतालीस लाख बाईस हजार छह सौ सतहत्तर मात्र) की राशि के लिए मंजूरी दी। इसके अलावा, पूर्व और उत्तर पूर्व क्षेत्र में संयुक्त महिला दिवस कार्यक्रम के लिए, आयोग ने अतिरिक्त परिवहन शुल्क के अधीन वास्तविक रूप से अधिकतम रु. 1,00,000/- (रूपये एक लाख मात्र) की राशि की मंजूरी दी।

7. **कार्यसूची मद सं.- 235/I/7**

**विषय: नालसा (NALSA) के सहयोग से कानूनी जागरूकता कार्यक्रम "विधान से समाधान"**

आयोग ने प्रस्ताव पर विचार-विमर्श किया और वित्तीय वर्ष 2023-24 और 2024-25 में 11 राज्यों में ब्लॉक स्तर पर महिलाओं के लिए कानूनी जागरूकता कार्यक्रम "विधान से समाधान" के तहत शिविर आयोजित करने के लिए राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण के पक्ष में रुपये 2,99,00,000/- (रुपये दो करोड़ निन्यानवे लाख मात्र) की राशि के लिए मंजूरी दी।

8. **कार्यसूची मद सं.- 235/I/8**

**विषय: कानूनी जागरूकता ऐप "हर लीगल गाइड" के लॉन्च पर सेमिनार**

आयोग ने प्रस्ताव पर विचार-विमर्श किया और कानूनी जागरूकता ऐप "हर लीगल गाइड" के लॉन्च पर सेमिनार के संबंध में रुपये 20,30,726/- (रुपये बीस लाख तीस हजार सात सौ छब्बीस मात्र) के व्यय के लिए पूर्वव्यापी मंजूरी दी।

इसके अलावा, बैठक के दौरान एक प्रश्न पर यह स्पष्ट किया गया कि यदि आयोग से कार्यक्रम के लिए अनुमोदन पहले ही लिया जा चुका है तो भुगतान जारी करने के लिए कार्यसूची मद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है।

9. **कार्यसूची मद सं.- 235/I/9**

**विषय: राष्ट्रीय महिला आयोग के डेस्क और दीवार कैलेंडर की डिजाइनिंग और प्रिंटिंग**

आयोग ने प्रस्ताव पर विचार-विमर्श किया और मैसर्स प्रिंट रिज़ॉर्ट, नई दिल्ली को 4000 डेस्क कैलेंडर और 1500 दीवार कैलेंडर की डिजाइनिंग और प्रिंटिंग के लिए रुपये 9,46,320/- (रुपये नौ लाख छियालीस हजार तीन सौ बीस मात्र) के व्यय के लिए मंजूरी दी।

10. **कार्यसूची मद सं.- 235/I/10**

**विषय: घरेलू हिंसा से बचे लोगों के पुनर्वास के लिए योजना**

आयोग ने प्रस्ताव पर विचार-विमर्श किया और संबंधित मंत्रालयों के साथ मामले को आगे बढ़ाने के लिए "घरेलू हिंसा से बचे लोगों के पुनर्वास" पर प्रस्तावित योजना को स्वीकार किया।

बैठक के दौरान, "घरेलू हिंसा से बचे लोगों के पुनर्वास" के लिए प्रस्तावित योजना पर एक प्रस्तुति भी दी गई।

इस संबंध में, माननीय अध्यक्ष ने सभी राज्यों को प्रसारित मॉड्यूल पर सुरक्षा अधिकारियों के 5 दिनों के प्रशिक्षण के आयोजन पर सभी मुख्य सचिवों को एक पत्र भेजने के लिए कहा। यह रा.म.आ की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।

11. **कार्यसूची मद सं.- 235/I/11**

**विषय: 5 जनवरी, 2024 को संसद भवन, नई दिल्ली में "शी इज़ ए चेंजमेकर" कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षित 500 महिला निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए एक दिवसीय विशेष कार्यक्रम " शी इज़ ए चेंजमेकर - पंचायत से संसद"।**

आयोग ने प्रस्ताव पर विचार-विमर्श किया और निम्नलिखित को मंजूरी दी:-

i) खाता विभाग द्वारा बिल, वाउचर के सत्यापन के अधीन, वास्तविक के अनुसार या रुपये 56,61,763/- (रुपये छप्पन लाख इकसठ हजार सात सौ तिरसठ मात्र) की राशि स्वीकृत और जारी करना

ii) खाता विभाग द्वारा बिल, वाउचर के सत्यापन के अधीन, वास्तविक के अनुसार या रुपये 7,96,616/- (रुपये सात लाख छियानवे हजार छह सौ सोलह मात्र)की राशि स्वीकृत और जारी करना।

12. **कार्यसूची मद सं.- 235/I/12**

**विषय: रामभाऊ म्हालगी प्रबोधिनी (आरएमपी) के सहयोग से प्रवासन के संबंध में महिला किसान/ दैनिक भत्ता मजदूरों पर क्षेत्रीय संगोष्ठी**

आयोग ने प्रस्ताव पर विचार-विमर्श किया और रुपये 10,01,000/- (रुपये दस लाख और एक हजार मात्र) की राशि को मंजूरी दी और रामभाऊ म्हालगी प्रबोधिनी, ठाणे, महाराष्ट्र के माध्यम से एक क्षेत्रीय संगोष्ठी

आयोजित करने के लिए पहली किस्त के रूप में रुपये 5,00,500/- (रुपये पांच लाख पांच सौ मात्र) की राशि जारी करने के लिए कार्योत्तर मंजूरी दी।

13. **कार्यसूची मद सं.- 235/II/1**

**विषय: वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए विस्तृत शीर्षकवार बजट आबंटन, चौथी तिमाही के लिए उपलब्ध कुल निधि, जनवरी 2024 महीने के लिए किया गया व्यय और 31.01.2024 तक उपलब्ध अव्ययित शेष राशि**

आयोग ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए बजट आबंटन, चौथी तिमाही के लिए उपलब्ध कुल धनराशि, जनवरी 2024 महीने के लिए किए गए व्यय और 31 जनवरी 2024 तक उपलब्ध अव्ययित शेष निधि पर संज्ञान लिया।

14. **कार्यसूची मद सं.- 235/II//2**

**विषय: मासिक रिपोर्ट - जनवरी 2024 : शिकायत एवं जाँच प्रकोष्ठ**

आयोग ने कार्यसूची में दिए गए विवरण के अनुसार शिकायत और जांच प्रकोष्ठ के संबंध में मासिक रिपोर्ट (जनवरी 2024) पर संज्ञान लिया।

15. **टेबल कार्यसूची मद सं.-235/टी/1**

**विषय: बेंगलुरु और कोच्चि में सीआईएसएफ कार्मिकों के लिए मानव तस्करी विरोधी जागरूकता पर सेमिनार**

आयोग ने प्रस्ताव पर विचार-विमर्श किया और बेंगलुरु और कोच्चि में "मानव तस्करी विरोधी जागरूकता" पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए रुपये 8,00,000/- के अनुमानित बजट को (रु. 4,00,000/- (रुपये चार लाख मात्र) प्रति कार्यक्रम) संसाधन व्यक्तियों के लिए हवाई किराया सहित मंजूरी दी। व्यय वास्तविक के अनुसार दर्ज किया जाएगा। इसके अलावा, माननीय अध्यक्ष ने अप्रैल 2024 के पहले सप्ताह में कोच्चि में कार्यक्रम आयोजित करने के लिए कहा।

**यह निर्णय लिया गया कि आयोग की अगली बैठक 22 मार्च, 2024 को सुबह 11.00 बजे होगी।**

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

**मीनाक्षी नेगी**
**सदस्य सचिव**

**रेखा शर्मा**
**अध्यक्ष**